शिक्षक प्रशिक्षण

शिक्षक, शिक्षा के विकास मे एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं एवं उत्कृष्ट शिक्षण स्तर को सुधारने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इस तत्थ को दृष्टिगत रखते हुए राज्य व केन्द्र सरकार शिक्षक प्रशिक्षण पर भी पर्याप्त धनराशि निवेश करती है। राज्य में शिक्षक प्रशिक्षण के अन्तर्गत दो प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित है, सेवापूर्व प्रशिक्षण तथा सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम।

शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों/महा विद्यालयों/डाइट्स आदि द्वारा उक्त दोनों प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, जबकि एस.आई.ई.आर.टी. द्वारा मात्र सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम ही संचालित किये जाते हैं।

आई.ए.एस.ई. एवं सी.टी.ई. संस्थान :

राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 1986 में शिक्षक शिक्षा व प्रशिक्षण में गुणात्मक सुधार लाने पर विशेष बल दिया गया हे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंषाओं के आधार पर माध्यमिक स्तर की शिक्षक शिक्षा में स्नातक/अधिस्नातक सेवापूर्ण प्रशिक्षण, शिक्षा में शोध कार्य एवं शैक्षिक नवाचार आदि की गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता बढाने के लिए राज्य में केन्द्र प्रवर्तित योजना (सी.एस.एस.) के अन्तर्गत उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान एवं शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय संचालित है जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	सस्था का नाम	प्रबन्धन स्थिति
आई.ए.एस.ई.		
1	उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर	राजकीय
2	उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, अजमेर	राजकीय
सी.टी.ई.		
1	विद्याभवन कला सस्थान,शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, उदयपुर	अनुदानित
2	गांधीविद्या मन्दिर ,शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय,सरदारशहर(चूरु)	अनुदानित
3	शाह गोवर्धन लाल काबरा ,शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय,जोधपुर	अनुदानित
4	लोकमान्य तिलक,शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय,डबोक (उदयपुर)	निजी
5	हरिभाउ उपाध्याय महिला, शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय,हटूण्डी (अजमेर)	निजी
6	गोपीकृष्ण पीरामल,शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय,बग्गड (झुझुनू)	निजी
7	ग्रामोत्थान विद्यापीठ,शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय,संगरिया(हनुमानगढ)	निजी
8	आर्य विद्यापीठ महिला ,शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय,भुसावर(भरतपुर)	निजी
9	श्रीअग्रसेन केशव विद्यापीठ,शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय,जामडोली,जयपुर	निजी

संरचना :

माध्यमिक शिक्षा में गुणात्मक उन्नयन तथा शैक्षिक चुनौतियों के समाधान तलाशने की दिशा में उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थानों द्वारा सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम को सुचारु रुप से संचालन हेतु विभिन्न विभागों की संरचना की गई है, यथा–शैक्षिक आधार, प्राथमिक शिक्षा, शैक्षिक प्रोद्यौगिकी, शैक्षिक योजना, प्रबन्ध व प्रशासन, सेवारत शिक्षाएं, प्रसार सेवाएं, प्रोढ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा व विशिष्ट शिक्षा विभाग है। इन विभागों में से शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में मात्र 3 विभाग ही संचालित है, जो सेवापूर्व एवं सेवारत शिक्षक शिक्षा/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं।

भवन :–

आई.ए.एस.ई., सीटीई संस्थान के भवनों की स्थितिः–

संस्थान	संख्या	संस्थान		छात्रावास	
		पूर्ण	अपूर्ण	पूर्ण	अपूर्ण
आई.ए.एस.ई.	2	2	--	2	--
सीटीई	9	9	--	9	--

शिक्षक प्रशिक्षण (बी.एड.) महाविद्यालयः–

वर्तमान में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापन हेतु शिक्षकों को तैयार करने के लिए कुल 790 राजकीय/गैर–राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय संचालित है। इन संस्थाओं में स्नातक एवं अधिस्नातक आशार्थियों को प्री–बीएड टेस्ट के मैरिट के आधार पर प्रवेश प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण अवधि एक शिक्षण सत्र की होती है। इनमें सह शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ महिलाओं के लिए पृथक महाविद्यालय भी संचालित हैं। इन महाविद्यालयों में कुल 91020 प्रशिक्षणार्थियों को प्रवेश हेतु विभिन्न महाविद्यालयों में सीटों का आवंटन किया गया ह जो इस प्रकार हैः–

आरक्षण के प्रावधान के अनुसार टाडा क्षेत्र में स्थित महाविद्यालयों की कुल स्वीकृत 2040 सीटों में से 918 सीटें टाडा क्षेत्र के स्थानीय जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की गई है। शेष में नियमानुसार 12 प्रतिशत अनु.जन जाति 16 प्रतिशत अनु.जाति, 21 प्रतिशत अन्य पिछड़े वर्ग के आशार्थियों हेतु आरक्षित हैं जिनका वर्गीकरण जिले के अनुसूचित जनजातिख अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में किया जावेगा। यह व्यवस्थता 91020 सीटों में ही सम्मिलित है। उक्त सीटों का आंवटन राज्य सरकार द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र के अनुसार किया गया है। महिला शिक्षक महाविद्यालयों के अतिरिक्त सह शिक्षा के शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में 20 प्रतिशत महिला आशार्थियों हेतु सीटें आरक्षित रहेगी।

भावी योजनाएंः

राज्य सरकार के निर्देशानुसार राज्य के समस्त शिक्षकों/शिक्षा अधिकारियों को सेवारत प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस हेतु राज्य में संचालित आई.ए.एस.ई. एवं सी. टी.ई. संस्थानों में सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम सत्र पर्यन्त आयोजित किए जाते हैं। आगामी तीन वर्षों में राज्य में समस्त शिक्षकों/शिक्षा अधिकारियों को अनिवार्य रुप से सेवाधीन प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षण हेतु प्रतिनियुक्तियों का कार्य वर्तमान में समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) कार्यालय स्तर पर प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रक्रियाधीन है। विज्ञान एवं गणित शिक्षण के अध्ययन– अध्यापन प्रक्रिया को सरल एवं सरस बनाते हुए गुणात्मक उन्नयन करने हेतु वरिष्ठ अध्यापाकें / व्याख्याताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना प्रस्तावित है।